म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./बी–6/नियमन/ध्यानाकर्षण–265/595 भोपाल, दिनांक 22/03/2016

–: परिपत्र :–

विषयः–विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर निराश्रित सहायता राशि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के संबंध मे।

1 समाज कल्याण विभाग म.प्र.शासन के द्वारा मध्य प्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियो की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) के अधीन अद्यतन जारी अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2000 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये है, कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कृषि उपज, ऐसी कृषि उपज के क्रेताओं से, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) मे विनिर्दिष्ट दर पर नकद में संग्रहीत की जाएगी, अर्थात् :–

अनुसूची

विनिर्दिष्ट कृषि उपज (1)	दर (2)
तिलहन, दलहन, अनाज, कपास एवं सोयाबीन	0.2 प्रतिशत अर्थात प्रत्येक 100 रूपये या उसके भाग पर 20 पैसे

2 शासन द्वारा उपरोक्त जारी असाधारण राजपत्र दिनांक 27 जनवरी 2000 मे प्रकाशित अधिसूचना से यह स्पष्ट है, कि निराश्रित सहायता राशि की गणना अधिसूचित कृषि उपज की क्रय मूल्य पर की जायेगी ना कि किसी अन्य आधार पर।

3 मध्य प्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियो की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 5–क (क) के अनुसार विनिर्दिष्ट दर से निराश्रित सहायता राशि का उद्ग्रहण व संग्रहण म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (1) से (4) तक के उपबंधो मे विहित मण्डी फीस की भांति किया जायेगा।

4 उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मण्डी फीस के साथ निराश्रित सहायता राशि का संग्रहण किया जाना एक प्रक्रिया है। इस राशि के उद्ग्रहण का अधिसूचित कृषि उपज पर देय मण्डी फीस के भुगतान/छूट से कोई संबंध नही है। यह राशि विनिर्दिष्ट कृषि उपज के क्रय मूल्य पर क्रेता से वसूल एवं संग्रहित की जाती है।

5 उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट कृषि उपजो के क्रय मूल्य पर निराश्रित सहायता राशि को मण्डी समितियो द्वारा संग्रहीत किये जाना पूर्णतः वैधानिक है। मण्डी बोर्ड द्वारा भी निराश्रित सहायता राशि की निर्विवाद एवं नियमित वसूली किये जाने के संबंध मे आदेश क्रमांक/मण्डी/1/नि./विविध/44/पार्ट/1348 दिनांक 30.4.1994 एवं परिपत्र क्रमांक बी–6/नियमन/

सांवरिया एग्रो/इटारसी/405/4575 दिनांक 14.8.2015 जारी किया गया है तथा निराश्रित सहायता राशि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण का उत्तरदायित्व मण्डी सचिव को सौंपा गया है। इसके पश्चात भी निराश्रित सहायता राशि की नियमित वसूली नही किये जाने के प्रकरण प्रकाश मे आये है।

6 म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 69 मे राज्य शासन को विनिर्दिष्ट कृषि उपजो के कय–विक्रय पर केवल मण्डी फीस के भुगतान से पूर्णतः या भागतः छूट देने का अधिकार है।

7 मध्य प्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियो की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) के अधीन जारी अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2000 के अधीन संग्रहीत की जा रही निराश्रित सहायता राशि पर छूट दिये जाने हेतु म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 69 सशक्त नही है। अतः मण्डी फीस के भुगतान पर छूट होने की दशा मे निराश्रित सहायता राशि के संग्रहण की प्रकिया पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ता है।

8 यह भी उल्लेखनीय है, कि मध्य प्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियो की सहायता अधिनियम, 1970 की धारा 5–ग मे विनिर्दिष्ट कृषि उपज पर विनिर्दिष्ट दर से निराश्रित सहायता राशि के उद्ग्रण एवं संग्रहण के अभाव मे मण्डी क्षेत्र के बाहर विनिर्दिष्ट कृषि उपज का परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है एवं धारा 5–ग के उल्लंघन कर ऐसी कृषि उपज का परिवहन पाया जाने पर ऐसा व्यक्ति तीन मास के कारावास या पांच सौ रूपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा एवं म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के अधीन धारित अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

9 उपरोक्त के अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट दर से निराश्रित सहायता राशि के संग्रहण मे व्यतिक्रम करने पर मध्य प्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियो की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 5–घ के अनुसार मण्डी समिति या स्थानीय प्राधिकारी की शिकायत पर, उस व्यक्ति से यह राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप मे कलेक्टर द्वारा वसूल की जा सकेगी।

10 अतः मध्य प्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियो की सहायता अधिनियम, 1970 के प्रावधान अनुसार विनिर्दिष्ट अधिसूचित कृषि उपज के कय पर निराश्रित सहायता राशि का संग्रहण सुनिश्चित करे। भविष्य मे यदि उपर्युक्त आदेश की अवहेलना पाई गई अथवा इस संबंध मे कोई विधान सभा प्रश्न, ध्यानार्कषण इत्यादि उपस्थित होता है तब इसके लिये सीधे मण्डी सचिव को उत्तरदायी माना जाकर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./बी–6/नियमन/ध्यानाकर्षण–265/516 भोपाल, दिनांक 22/03/2016

प्रतिलिपि :–कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण।
3. कलेक्टर जिला ..... (समस्त)।
4. अपर/संयुक्त/उप संचालक मण्डी बोर्ड, मुख्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अपर/संयुक्त/उप संचालक आंचलिक कार्यालय (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ..... जिला ..... (समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.03.2016 की स्थिति मे लंबित/वसूली योग्य निराश्रित सहायता राशि की जानकारी संकलित की जाकर दिनांक 15.4.16 तक आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय मे भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

4. गार्ड फाइल, कम्प्यूटर शाखा।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल